

पत्रावली का हूँ। प्रथम को कर से पत्रावली से सुनिश्चित रूप से
न्यायालय द्वारा न उचित होकर आवेदन पर पत्र किया गया
कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अपीलनाम
को जस्टिस नोटिस तब किया जावे। तहसीलदार सीकर से तथ्यात्मक
रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेची दिनांक 22.08.2024 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

22/8/24

पत्रावली पेश अधि. प्राचीं टाण्डि / अधिवक्ता
प्राचीं इरा आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा 136 UAT
1956 इस आदेश का पेश किया गया कि मुक्ति
ख. न. 2552/398 रकबा 0.2771 ईम्ट वकि
उत्तम राधाकिशनपुरा पटवार इलका राधाकिशनपुरा
तहसील सीकर में अवस्थित है। उत्तम
में ठ प्राचीं द्वारा जस्टिस किश्य-पत्र दिनांक 18.1.24
को 2480/2771 हिस्सा इस क्रिया था जितने
नामानकाल (रकबा) 2978 दिनांक 18.1.24 के लिए
प्राचीं का नाम सहवन से शानिकानर सैनी का
बजरांग लाल सैनी के स्थान पर शानिकानर सैनी
पैला बजरांग लाल सैनी दर्ज हो गया। प्राचीं
का नाम उत्तम जमावकी में भुड़ किया जावे।
रिपोर्ट तहसीलदार प्रा. जितने कुतुआ एरः
नामानकाल में प्राचीं का नाम शानिकानर सैनी
पैला बजरांग लाल सैनी दर्ज हो गया जस्टिस
रजि. दत्तात्रेय में प्राचीं का नाम शानिकानर सैनी
पुत्र बजरांग लाल दर्ज है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार
के आधार पर प्राचीं-पत्र प्राचीं के लीकर किया
जारा है तथा मुक्ति ख. न. 2552/398 रकबा 0.2771
ईम्ट वकि उत्तम राधाकिशनपुरा पटवार इलका
राधाकिशनपुरा तहसील जिल्ला सीकर के खोरेडा
बजरांग लाल सैनी शानिकानर सैनी पैला बजरांग
लाल सैनी के स्थान पर शानिकानर सैनी पुत्र
बजरांग लाल सैनी रूपे जावे के लीकर
भूराजस्य अधिनियम 1956 के द्वारा 136 के
प्रावधानों के अंतर्गत जारी है। पत्रावली के लाल
भुड़ाने इलका नम्बर 10 मम है। बाकी लाल (है)
निर्गम आज मेरे दस्तावेज से (उत्तम) गया